

✓
SDD

12.8.24

पत्रावली पेश हुई वकील एसकाट उपस्थित।
जवाब हेतु अपसट चाहा। अंकित अवसट
दिया गया। पत्रावली वामन जवाब धारण
पत्र दि. 14.8.24 को पेश होने।


✓
SDD

14.08.2024

पत्रावली पेश हुई वकील उपपक्षकारान उपस्थित।
अप्राप्तीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।
शामिल पत्रावली किया गया। बधस सुनी
गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वाद्यग्रस्त भूमि प्राप्ती की खानेदारी कृषि
भूमि है। पृथमदृष्ट्या मामला सुविधा एवं
अंतुलन की दृष्टि से प्राप्ती के पक्ष में है।
अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण
सं. 01 से 03 को पाबंद किया जाता है
कि मरल बाद के निरन्तरण तक मौजा

✓
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

जोरावरपुरा में खा.सं. 2। खसरा सं. 879/795
शकवा 1.6187 ईस्ट. भूमि में आतिक्रमण न
तो स्वयं करें न अपने परिवार के किसी
अदस्य, मित्र, एजेंट से करावें। प्राप्ति के
कब्जे काशत में शकवाट पैदा न करें न
ही किसी अन्य से करावें। ऐसा कोई कृत्य
न करें जिससे प्राप्ति स्वामित्व पर विपरीत
प्रभाव पड़े। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर
संगत मूल वाप रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा